सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2014/00090

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0
निगरानी प्रकरण सं0 47/2014

1. दतार सिंह पुत्र श्री साईया सिंह जाति रायसिख निवासी 12 एन.आर.डी. तहसील रायसिंहनगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. (बिशनपुरा सिगड़ान) पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :
1. श्री गुरचरण सिंह अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री रामेश्वर सुथार अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता

:: आदेश :: दिनांक :– 14.02.2020

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव जिसके आधार पर निगरानीकर्ता को नोटिस क्रमांक 104 दिनांक 20.08.2014 जारी किया गया है स्पष्ट ही गलत है। प्रस्ताव व नोटिस दोनो ही गलत होने से हर प्रकार से निरस्तनीय है। नोटिस में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस तरफ से अतिक्रमण किया गया है जबकि मौके पर 2003 में निशान देही के अनुसार ही मकान का निर्माण करवाया गया था तथा पश्चिम दिशा में तो पक्की सड़क व नाली भी बनी हुई है जो कि पंचायत के द्वारा ही बनवाई गई है। अतः इस और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण का प्रशन पैदा नहीं हो सकता है। उत्तर व दक्षिण की पैमाईश के अनुसार 11 गुना 120 के अतिक्रमण का प्रशन नहीं है तथा पश्चिम में पक्की सड़क व नाली बनी हुई है। अतः अतिक्रमण करने का प्रश्न नहीं है अगर पूर्व दिशा में किसी कारण कोई जगह अधिक कब्जा में पाई जाती है तो पैमाईश करने पर वह जगह छोड़ने को तैयार है जैसाकि जवाब नोटिस में भी अंकित करवाया है। गैरनिगरानीकर्ता ने वास्तव में झूठी व किसी गलत शिकायत जो कि किसी ने राजनैतिक रंजिश आदि के कारण की है, मिली भगत से ही प्रस्ताव पास किया व नोटिस जारी किया है तथा जवाब के बावजूद भी निगरानीकर्ता का मकान पश्चिम दिशा में गलत तौर से तुड़वाने की कोशिश की जा रही है जबकि गली व नाली उसके मकान के साथ लगती बनी हुई है। अतः अतिक्रमण का प्रश्न नही है। प्रस्ताव व नोटिस वास्तव में राजनैतिक प्रभाव आदि के कारण ही पास किया गया व नोटिस भी गलत दिया गया है। ग्राम पंचायत के द्वारा मनमानी की जा रही है क्योंकि मौजूदा सरपंच से पूर्व दो सरपंच रहे है जिनके द्वारा कभी आपत्ति नही की गई ना ही किसी सचिव ने ही कभी कोई आपत्ति की है ना ही कोई अतिक्रमण होने का कहा गया है। अतः मौजूदा सरपंच का प्रस्ताव व नोटिस राजनैतिक कारण किसी के गलत कथन पर ही जारी किया गया है। प्रस्ताव पेश करने से पूर्व ना तो निगरानीकर्ता को कभी बुलाया गया ना ही सुना गया ना ही किसी प्रकार से कोई कानूनी प्रकिया ही अपनाई गई है ना ही मकान की मौके पर पैमाईश की गई है तथा ना ही किसी प्रकार से अन्य कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया को ही अपनाया गया है। बिना इसके ही गलत प्रस्ताव पास किया गया व नोटिस जारी किया गया है जो कि वेकेंट करने व कार्यवाही समाप्त करने के है। लिहाजा निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव व नोटिस 20.08.2014 को वेकेंट करने कार्यवाही समाप्त करने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत के प्रस्ताव जिसके आधार पर निगरानीकर्ता को नोटिस क्रमांक 104 दिनांक 20.08.2014 जारी किया गया है स्पष्ट ही गलत है। नोटिस में यह अंकित नहीं किया गया है कि किस तरफ से अतिक्रमण किया गया है जबकि मौके पर 2003 में निशान देही के अनुसार ही मकान का निर्माण करवाया गया था तथा पश्चिम दिशा में तो पक्की सड़क व नाली भी बनी हुई है जो कि पंचायत के द्वारा ही बनवाई गई है जिस पर किसी भी प्रकार के अतिक्रमण होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। उत्तर व दक्षिण की पैमाईश के अनुसार 11 गुना 120 के अतिक्रमण का प्रशन नहीं है अगर पूर्व दिशा में किसी कारण कोई जगह अधिक कब्जा में पाई जाती है तो पैमाईश करने पर वह जगह छोड़ने को तैयार है जैसाकि जवाब नोटिस में भी अंकित करवाया है। जवाब के बावजूद भी निगरानीकर्ता का मकान पश्चिम दिशा में गलत तौर से तुड़वाने की कोशिश की जा रही है। ग्राम पंचायत के द्वारा मनमानी की जा रही है क्योंकि मौजूदा सरपंच से पूर्व दो सरपंच रहे है जिनके द्वारा कभी आपत्ति नही की गई ना ही किसी सचिव ने ही कभी कोई आपत्ति की है ना ही कोई अतिक्रमण होने का कहा गया है। अतः मौजूदा सरपंच का प्रस्ताव व नोटिस राजनैतिक कारण किसी के गलत कथन पर ही जारी किया गया है। प्रस्ताव पेश करने से पूर्व ना तो निगरानीकर्ता को कभी बुलाया गया ना ही सुना गया ना ही किसी प्रकार से कोई कानूनी प्रकिया ही अपनाई गई है ना ही मकान की मौके पर पैमाईश की गई है तथा ना ही किसी प्रकार से अन्य कोई कानूनी अथवा न्यायिक प्रकिया को ही अपनाया गया है। बिना इसके ही गलत प्रस्ताव पास किया गया व नोटिस जारी किया गया है जिसे निरस्त किया जाकर निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता को बार–बार आवाजें लगाई गई उपस्थित नही।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि निगरानीकर्ता को प्रथम नोटिस क्रमांक 90 दिनांक 05.08.2014 एवं द्वितीय नोटिस क्रमांक 104 दिनांक 20.08.2014 जारी किया गया है स्पष्ट ही गलत है। नोटिस जिस प्रकार से जारी किया गया है वो गलत है। निगरानीकर्ता का मौके पर मकान का निर्माण है एवं पश्चिम दिशा में पक्की सड़क व नाली भी बनी हुई है। रिकॉर्ड के अवलोकन ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि निगरानीकर्ता द्वारा कोई अवैद्य अतिक्रमण कर रखा हो। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी भूखण्ड संख्या 21 ब्लॉक 5 ई पैमाईशी 85X120 की हद तक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत 12 एन.आर.डी. (बिशनपुरा सिगड़ान) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी श्री दतार सिंह पुत्र श्री साईया सिंह को जारी पट्टे से अधिक भूमि पर यदि कब्जा कर अतिक्रमण कर रखा हो तो पंचायत नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को पालनार्थ भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 14.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर